क्या तारिख	न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, गिरिडीह वाद सं0–542 / 2022 पुरनी देवी **बनाम** बिशु तुरी वगैरह **(धारा–144 दं0प्र0सं0)**	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित
	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
10.04.2023	प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन पत्र एवं तत्सम्बन्धी थाना प्रभारी, पचम्बा थाना से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर उभय पक्ष के विरूद्ध निम्नांकित विवादग्रस्त भूमि पर दं0प्र0सं0 की धारा–144(i) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उनसे कारण–पृच्छा की मांग की गई। **भूमि की विवरणः–** मौजा–लखारी, थाना–पचम्बा, जिला–गिरिडीह के अन्तर्गत खाता नं0 $\frac{16}{2}$ प्लॉट नं0 425 एवं 426 रकवा 46 डी0 (निर्मित मकान को छोड़कर) तथा चौहदी–उ0–सीमाना मौजा–टुण्मुण्डा, द0–किशुन बढ़ही, पू0–सफी मियां, प0–मधुसूदन दुसाध का घर। उभय पक्ष के सदस्य न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रथम पक्ष द्वारा अपना कारण–पृच्छा समर्पित किया गया। इस वाद के वैधानिक अवधि का आज अन्तिम दिन है, परन्तु द्वितीय पक्ष द्वारा न तो अपना कारण–पृच्छा दाखिल किया गया और न ही वे आज न्यायालय में उपिस्थत है। ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष की ओर से इस मामले की एकतरफा सुनवाई की गई। प्रथम पक्ष का दावा है कि इन्होंने प्रश्नगत भूमि बजरिए निबंधित केवाला के दिनांक 12.04.1996 को हरखू दास से क्रय की एवं दखलकार हुई। इनके नाम से दाखिल–खारीज वाद सख्या 60 / 97–98 के आधार पर दाखिल–खारीज हुआ। तदनुसार इनका नाम पंजी–II में दर्ज हुआ। तदोपरान्त ये सरकार को लगान का भुगतान कर सरकारी लगान रसीद हासिल की। प्रथम पक्ष का आगे दावा है कि रामचन्द्र दास ने खाता नं0 16 प्लॉट नं0 425 के अन्तर्गत 16 डी0 जमीन बजरिए लीज एग्रीमेन्ट के दिनांक 06.06.1983 को किसुन बढ़ई से हासिल किया। तब से प्रथम पक्ष उपरोक्त भूमि पर दखलकार चली आ रहीं है एवं इसे चाहरदिवारी से घेरावा कर जमीन के एक अंशर पर दो कमरे का निर्माण की है, परन्तु द्वितीय पक्ष के सदस्य बिना कोई कागजात के प्रश्नगत भूमि को हड़पना चाहते है।	

प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित कागजा छायाप्रतियाँ दाखिल किया गया है :–

1. हरखू दास द्वारा पुरनी देवी के पक्ष में निष्पादित निबंधित केवाला।
2. सरकारी लगान रसीद।
3. किशुन बढ़ई द्वारा रामचन्द्र दास के पक्ष में निष्पादित एकरारनामा।

अभिलेख के साथ संचित प्रथम पक्ष का कारण–पृच्छा एवं कागजात का सुक्ष्मावलोकन किया। प्रथम पक्ष प्रश्नगत भूमि को निबंधित केवाला एवं एकरारनामा के आधार पर दावा करती है। द्वितीय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए, परन्तु उनके द्वारा न तो अपना कारण–पृच्छा/कागजात समर्पित किया गया और न ही वे आज न्यायालय में उपस्थित है, जबकि इस वाद के वैधानिक अविध का आज अन्तिम दिन है। इससे स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष को वादगत भूमि के सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष का उपरोक्त भूमि पर दावा तथ्यपरक प्रतीत होता है।

अतः इस वाद में एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए इस न्यायालय से निर्गत निरोधात्मक आदेश को प्रथम पक्ष के पक्ष में रिक्त (Vacate) एवं द्वितीय पक्ष के विरूद्ध निरपेक्ष (Absolute) किया जाता है।

लेखापित।

10/04/23

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।

10/04/23

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।

Digitally signed by Vishal Deep Khalkho
Date: 2023.04.24 13:27:20 +05:30
Location: 192.168.29.151